## न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-473 / 07</u> <u>संस्था0दि0 03 / 09 / 07</u> <u>फाई लनं.233504000022007</u>

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

\_\_\_\_<u>अभियोजन</u>

#### -: विरूद्ध:-

- 1. अन्नु उर्फ अनवर पिता सुब्बू, उम्र 40 वर्ष, (फरार)
- कमलेश पिता सुरेश सोनी, उम्र 32 वर्ष जाति सोनी, पेशा—कृषि, नि0ग्राम खण्डारा, थाना बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)

# ---- <u>अभियुक्तगण</u>

### <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 30 / 11 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 379 के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 29—30 / 02 / 04 की मध्य रात्रि में फरियादी केशव साहू के सामने बोड़खी बाजार मार्केट से यामहा मोटर साईकिल कमांक एम०पी० 05 बी—4609 कीमती 9000 / —रूपये को बिना फरियादी की सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29/07/04 रात्रि 10 बजे दुकान से घर मोटर साईकिल याम्हा कत्थई कलर जिसका नं. एम0पी0 05/बी 4609 है, से घर गया और घर पर खडी कर दिया था शुक्रवार सुबह उसने देखा तो उसकी मोटर साईकिल नहीं मिली मोटर साईकिल कि तलाश आज तक किया नहीं मिला कोई अज्ञात चोर मोटर साईकिल चुराकर ले गया है, पुरानी कीमत 9000/—रूपये की है।
- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 3 है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 299/04 भा.द.सं धारा—379,34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 04/08/04 को नक्शा मौका प्र.पी. 4 तैयार किया गया, दिनांक 03/08/04 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—''क्या आपने दिनांक 29—30 / 02 / 04 की मध्य रात्रि में फरियादी केशव साहू के सामने बोड़खी बाजार मार्केट से यामहा मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 05 बी—4609 कीमती 9000 / —रूपये को बिना फरियादी की सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की?''

#### —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी केशव (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आज से लगभग 5—6 वर्ष पहले बोडखी बाजार से उसकी मोटर साईकिल यामहा कंपनी चोरी हो गई थी। किसी अज्ञात चोर ने चुरा ली थी। उसने मोटर साईकिल चोरी की रिपोर्ट पुलिस चौकी बोडखी में किया जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जो प्र0पी0 3 है। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस जांच करने घटना स्थल पर आई थी और मौका नक्शा प्र0पी0 4 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह गवाह फरियादी है किन्तु इस गवाह के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं ऐसी परिस्थिति में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य विवेचना अधिकारी साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से रमेश रघुवंशी की साक्ष्य पेश नहीं की गई है वही व्यक्ति यह साबित कर सकता था कि अभियुक्त के कब्जे से मोटरसाईकिल किस प्रकार आई और किस आधार पर उसने अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त साक्षी की साक्ष्य न होने के कारण यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त कमलेश के द्वारा चोरी विषयवस्तु मोटर साईकिल की चोरी किया।

7— अभियोजन साक्षी दीनू उर्फ दिनेश (अ.सा.1), अभियोजन साक्षी गुड्डू उर्फ दिनेश (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

8— अभियोजन साक्षी पी०एन० त्रिपाठी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 03/08/04 को पुलिस थाना बैतूल कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी कमलेश और अनवर चोरी की मोटर साईकिल लेकर घुम रहे है। उसने उसी दिनांक को 15:40 बजे बस स्टेण्ड बैतूल में दोंनो आरोपीगण से मोटर साईकिल यामहा एम०पी० 05 बी 4609 को साथ मिले उसने उनसे वाहन के कागजात पूछा तो आरोपीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये उसने चोरी के संदेह के आधार पर साक्षी गुड्डू एवं रामा के समक्ष आरोपी कमलेश सोनी के कब्जे से उक्त मोटर साईकिल को जिसकी टंकी सिलेटी कलर की थी मटघाट अगला और पिछला सफेद रंग का था धारा 41(1)4 द0प्र0संo/379 भा0द0वि० के तहत जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी० 5 तैयार किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मौके पर उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी कमलेश एवं अनवर की गिरफतारी कर प्र0पी० 6 एवं 7

तैयार किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपीगण को मय जप्तशुदा मोटर साईकिल साथ में लेकर पुलिस थाना बैतूल कोतवाली आया जहां उसने प्र0पी0 8 लेख किया था।

- इस गवाह के द्वारा अभियोजन साक्षी गुड्डू एवं रामा के द्वारा मोटर साईकिल यामाहा एम0पी0 05 बी 4609 के साथ मिले, किन्तु सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 के साक्षी गुड्डू उर्फ दिनेश ने इस गवाह की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है। साथ ही अभियोजन साक्षी रामा को अदम पता घोषित किया गया है इस प्रकार सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी० 5 प्रमाणित नहीं होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त के पास से गाड़ी के कागजात नहीं बताने पर चोरी के संदेह के आधार पर धारा 41(1)4 द0प्र0स0 भा0द0वि0 की धारा 379 के तहत जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया था, किन्तु क्या वास्तविक रूप से अभियुक्त के पास दस्तावेज नहीं था। ऐसी कोई जांच की गई हो और उस जांच में पाया गया हो कि जो मोटर साईकिल अभियुक्त के कब्जे में पाई गई थी वह चुराई हुई सम्पत्ति है। क्योंकि प्रकरण में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की की धारा 27 का मेमोरेण्डम भी नहीं लिया गया है। जबकि धारा 27 मेमोरेण्डम में की गई संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषयवस्तू यामाहा मोटर साईकिल की जप्ती आवश्यक है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 मेमोरेण्डम की कार्यवाही नहीं की है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के कब्जे से जो यामाहा मोटर साईकिल पाई गई थी वह चोरी की है।
- 10— उर्पयुक्त किए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी केशव साहू के सामने बोड़खी बाजार मार्केट से यामहा मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 05 बी—4609 कीमती 9000/—रूपये को बिना फरियादी की सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं.1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी केशव साहू के सामने बोड़खी बाजार मार्केट से यामहा मोटर साईकिल कमांक एम0पी0 05 बी—4609 कीमती 9000/—रूपये को बिना फरियादी की सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की। इस प्रकार अभियुक्त कमलेश सोनी को भा0द0वि0 की धारा—379 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

जावे। टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी अन्नु उर्फ अनवर फरार है कि टीप लिखी जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में आरोपी अन्नु उर्फ अनवर फरार है। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0